न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान कल्याणसहाय बनाम बल्ला बगै0

वाद संख्या–58/2016

दिनांक निर्णय–08.09.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादी कल्याणसहाय पुत्र रेवड जाति मीना निवासी धनावड तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 08.06.2016 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार वादी ग्राम धनावड तह0 बसवा का स्थाई निवासी है, जिसकी सहखातेदारी की आराजी भूमि ख0 नं0 1301 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी प्रथम लगानी 1.20 पैसे कुल किता एक वाके रामा ग्राम धनावड में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 पूर्व से अंकन है, जिसमें वादी ने अपने रिहायशी मकाने पूर्वजों के समय से बना रखे है। अपने हिस्से की भूमि के अलावा वादी ने दिनांक 20.09.13 को खातेदार राधेश्याम व रामरिछपाल से उनके हिस्से की भूमि 1/3 दर हिस्सा 1/2 खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है, एवं वादी ने अपनी भूमि में पूर्व से ही पुख्ता मकाने बना रखा है एवं राधेश्याम, रामरिछपाल से खरीद भूमि जिसमें राधेश्याम रामरिछपाल के पिता स्व. श्रवण ने अपने हिस्से में पाटोल चार घह बना रखी थी और चारों ओर बाडा बना रखा था और रेवडा डाल रखा था और चारों ओर तारबन्दी कर रखी थी, जिसे खरीद कर कब्जा ले रखा है, जो बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है एवं वादी काश्त सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है।

उक्त आराजी भूमि पूर्व में रामरिछपाल, राधेश्याम पिसरान श्रवण के नाम से थी, जिसे जरिये रजिस्टर्ड वादी ने रामरिछपाल, राधेश्याम से खरीद की और जिस पर कब्जा लेकर दिनांक 20.09.13 को नामान्तकरण सं0 611 पर वादी का भूमि में नाम दर्ज हो गया, इस प्रकार वादी उक्त भूमि में सहखातेदार के रूप में प्रविष्ट हो गया। श्रवण खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, उसके पुत्र प्रतिवादी नं0 1 व 2 है, जिन्हे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है।

उप जिला कलक्टर
बांदीकुई (दौसा)

प्रतिवादी, वादी व उसके परिवार से रंजिश व अदावट रखते है एवं आये दिन इस बात को लेकर लडाई झगडा करते है। जबकि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से सम्बंध नही है। वादी द्वारा भूमि खरीद से पूर्व रामरिछपाल, राधेश्याम का पूर्वजों के समय से भूमि पर कब्जा है एवं अन्य सहखातेदारों ने भी अपने–अपने हिस्से में उपयोग में लेते रहे है एवं वर्तमान में भी सभी अपने – अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है।

उक्त भूमि का पूर्व में किसी भी प्रकार से कानूनन बंटवारा नही हुआ है। ऐसी स्थिति में पूर्वजों के समय से चले आ रहे भूमि पर काबिज के आधार पर सरस रूप से भूमि का बंटवारा किया जावें, एवं वादी का उसके हिस्से अनुसार अलग से खातसा कायम किया जाकर नक्शे में इन्द्राज किया जावें व वादी के नाम से अलग से पासबुक जारी किये जावे। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आती है।

वादी को आराजी भूमि ख0 नं0 1301 वाके रामा ग्राम धनवाड की हिस्से की भूमि में जिसमें कब्जा काश्त है, प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार कब्जा करने, अतिकमण करने से स्वयें व उसके परिवारजन स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वादी के हिस्से की भूमि का जिस पर कब्जा काश्त है, उसका सरस – नरस रूप से कानूनन बंटवारा भूमि का किया जाकर उसके हिस्से का अलग से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें।

पत्रावली दिनांक 26.08.16 को न्यायालय में पेश हुई वकील वादी उपस्थित हुए। प्रतिवादी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी की जा चुकी है। कोई उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगणों की ओर से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि वादी के हिस्से की भूमि का हिस्से अनुसार तकास्मा किया जावें। हमने वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी भूमि का तकास्मा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि आराजी ख0 नं0 1301 रकबा 0.10 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 है0 स्थित रामा धनावड त0 बसवा का पक्षकरान के मध्य सरस

उप जिला कलेक्टर

नरस कब्जे अनुसार व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुरेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
कल्याण पि0 रेवड जाति मीना सा0 देह खातेदार	1301/1 1301/3	0.01 0.03
	किता 2	0.04 है0
श्रवण पि0 रेवड हि0 256/600 घम्मन पि0 प्रभात्या बरजी बेवा प्रभात्या हि0 36/600, रामकुवार, नारायण, गिर्राज, बल्ला पि0 पॉचू हि0 136/600 रेवड पि0 रमला हि0 172/600 जाति मीना सा0 देह खातेदार	1301/2 1301/4	0.04 0.02
	किता 2	0.06 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 08.09.17 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिग्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

व रामारछपाल स उनक हिस्स का भूम 1/3 दर हिस्सा 1/2 खराद कर